कायालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/ दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो.रा.यो./2011–12/2082 दिनांक 09.5.2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः–देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत निःशुल्क स्कूटी वितरण हेतु, देय कर एवं सरचार्ज माफ करने पर रजिस्ट्रेशन करवा कर स्कूटी छात्रा के नाम स्थानान्तरण बाबत।

प्रसंगः–शासन उप सचिव (मु.)परिवहन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 6(59)/परि/कर/मु./05/645 जयपुर दिनांक 27.04.12 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक क्रम में लेख है कि आयुक्तालय परिवहन विभाग राजस्थान जयपुर ने उनके पत्रांक 645 दिनांक 27.04.12 द्वारा देवनारायण योजना अन्तर्गत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जा रही स्कूटी दुपहिया वाहनों पर देय कर एवं उस पर आरोपित सरचार्ज से छूट प्रदान कर दी गयी है। (प्रति संलग्न है) विभागीय वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in से प्रति डाउनलोड कर ली जावे।

विशेष पिछड़े वर्ग की जिन छात्राओं को वर्ष 2011–12 के लिये स्कूटी स्वीकृत की गयी है, उनके नाम करायी गयी बीमा पॉलिसी, इनवाईस, उल्लेखित कर मुक्त पत्र तथा अन्य आवश्यक पत्रादि सम्बन्धित क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत कर, रुपये 160/– (100+60) प्रति स्कूटी की दर से शुल्क जमा कराकर निदेशक/ प्राचार्य के नाम स्कूटियों का रजिस्ट्रेशन करावे तथा साथ ही रुपये 30/–(रुपये तीस मात्र) प्रति स्कूटी की दर से शुल्क जमा कराकर छात्रा के नाम स्कूटी स्थानान्तरित करायी जावे। जिन्होंने पूर्व में ही स्कूटियों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, वे स्कूटियां छात्राओं के नाम स्थानान्तरित करवाने की कार्यवाही करावे। सम्पूर्ण कार्यवाही उपरान्त स्कूटी वितरण सम्बन्धी पत्रादि विवरण सूची के साथ दो–दो सेट में तैयार कर निदेशालय को शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करावे।

विवरण सूची निम्नानुसार होगीः–

क्रमांक	स्कूटी स्वी.आ./दिनांक	सूची क्रमांक	छात्रा का नाम/पिता का नाम	कक्षा	चेसिस नम्बर	इंजन नम्बर	आंवटित नम्बर	स्टॉक पंजिका क्रमांक	वितरित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.
जयपुर

क्रमांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/ दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो.रा.यो./2011–12/2083-84 दिनांक 09.5.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्री देवर्षि जी विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

सहायक लेखाधिकारी(छात्र.)

place it on W.S.

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 6 (59)/परि/कर/मु./05/645 जयपुर, दिनांक :–27.04.2012

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग की देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा (सीनियर सैकण्ड्री) की परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली तथा राजस्थान राज्य में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली प्रथम 500 छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में निःशुल्क वितरित किये जा रहे स्कूटी दुपहिया वाहनों पर उक्त अधिनियम के अधीन देय एकबारीय कर एवं उस पर आरोपित सरचार्ज से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र सोनी)
शासन उप सचिव (मु)।

क्रमांकः एफ 6 (59)/परि/कर/मु./05/645 जयपुर, दिनांकः–27.04.2012

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.04.2012 को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, यातायात (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (विधि), विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
9. श्री संजय सिंघल, ACP को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
10. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
11. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक,(छात्रवृत्ति) कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

27-04-2012

उप शासन सचिव (मु.)

शासन उप सचिव (मु.)
परिवहन विभाग
राजस्थान, जयपुर